**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**निर्णय की तिथि: 23 अगस्त, 2024**

अवमान वा.(सि.) 1324/2024

प्रिया भाटिया ..... याचिकाकर्ता

के माध्यम से: सुश्री अदिति शिवधात्री, श्री आर. आर. भारती, अधिवक्तागण सहित अधिवक्ता सुश्री सुबेदिता रानी।

बनाम

अमित भाटिया ..... प्रत्यर्थी

के माध्यम से: कोई नहीं।

**कोरम:**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा**

**<u>न्या. धर्मेश शर्मा, (मौखिक)</u>**

**<u>सि.वि. आ. 48333/2024 – छूट</u>**

1. अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

**अवमान वा.(सि.) 1324/2024**

3. याचिकाकर्ता/पत्नी उत्तर पश्चिमी जिले के परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.05.2024 को पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए प्रत्यर्थी/पति के विरुद्ध अवमान कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रही है, जिसके अंतर्गत दं.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत याचिकाकर्ता/पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रत्यर्थी/पति को 1.40 लाख रुपये प्रति माह की दर से अंतरिम भरणपोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जिसे उसके द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख तक याचिकाकर्ता/पत्नी के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाना है। इसके अलावा आगे यह निर्दिष्ट किया जाता है कि 2017 से बकाया अंतरिम भरणपोषण राशि भी छह माह के भीतर जमा कराई जाए।

4. तर्क के दौरान, यह बताया गया कि उपरोक्त आदेश के निष्पादन हेतु विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के समक्ष पहले ही एक आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे दिनांक 03.10.2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त आदेश का एक मात्र परिशीलन यह दर्शाता है कि विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा है कि प्रत्यर्थी/पति याचिकाकर्ता/पत्नी और उसके दो बच्चों को अंतरिम भरणपोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह

अभिलिखित तथ्य है कि प्रत्यर्थी सतारा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, पुणे में महाप्रबंधक (राजस्व और संचालन) के रूप में कार्यरत है।

5. इस न्यायालय के लिए वर्तमान मामले में किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवार न्यायालय के पास अपने आदेशों के अनुपालन को लागू करने और न केवल भरणपोषण के बकाया की शीघ्र और प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने, किंतु याचिकाकर्ता को स्वयं और उसके दो बच्चों के लिए भरणपोषण का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

6. उपर्युक्त स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिप्रसाद जैन**[1] के मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की और यह आग्रह किया कि अवमान कार्यवाही और निष्पादन कार्यवाही दो अलग-अलग उपाय हैं और इन्हें एक साथ लागू किया जा सकता है। **राम नारंग बनाम रमेश नारंग**[2] के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ भी आमंत्रित किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल इसलिए कि न्यायालय का कोई आदेश या डिक्री प्रकृति में निष्पादन योग्य है, वह अवमान कार्यवाही में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नहीं छीनता है।

---

[1] एमएएनयू/एससी/0840/2022

[2] (2006) 11 एससीसी 114

7. यद्यपि, उद्धृत अंतिम मामले में, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों या प्रासंगिक पृष्ठभूमि पर बहुत कुछ निर्भर करेगा जिसमें न्यायालय अपने अवमान क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का निर्णय ले सकता है या नहीं। यह दोहराया गया कि सामान्य तौर पर, पक्षकारगण को डिक्री के निष्पादन या आदेश के कार्यान्वयन का सहारा लेना चाहिए, जो विधि में प्रभावी वैकल्पिक उपाय है।

8. **आर.एन. डे. बनाम भाग्यबती प्रमाणिक**[3] के मामले में लिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप दी गई राशि का भुगतान न करने के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत याचिका दायर की गई थी और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "7..... अवमान के साधन का बहुतायत में प्रयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आम तौर पर, इसका प्रयोग डिक्री के निष्पादन या किसी आदेश के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जा सकता है जिसके लिए विधि में वैकल्पिक उपाय प्रदान किए गए हैं। न्यायालय को दिए गए विवेक का प्रयोग न्यायालय की गरिमा और विधि की महिमा को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए।..."

9. यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था कि:

[3] (2000) 4 एससीसी 400

> "8. ... डिक्रीधारक, जो विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम नहीं उठाता है, को मनी डिक्री की संतुष्टि न होने के लिए न्यायालय के अवमान क्षेत्राधिकार का अवलंब लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

10. एक लंबी अकादमिक चर्चा से बचते हुए, हम **सूरजमल्ल नागरमल्ल बनाम बृजेश मेहरोत्रा**[4] के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 स्वयं में एक व्यापक संहिता है और न्याय, इक्विटी और शुद्ध अंतःकरण के सामान्य विधि सिद्धांतों के आधार पर अर्जन और प्रतिकर के भुगतान हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है, इसलिए पक्षकारगण को अवमान याचिका दायर करके निर्देशों के दायरे का विस्तार करने के बजाय उसी अधिनियम के अंतर्गत अपना उपाय तलाशना चाहिए।

11. इस मामले से विदा लेने से पहले, जहां तक ***एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय का संबंध है, यह अलग बात है क्योंकि उक्त मामले में प्रत्यर्थी/अवमानकर्ता ने सिविल अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही की जानबूझकर अवज्ञा की थी और इसमें लोक हित को

[4] 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1252

प्रभावित करने वाले ऋणों के भुगतान के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा का मुद्दा भी शामिल था।

12. तदनुसार, यह न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से विरत रहता है तथा याचिकाकर्ता को उचित निर्देशों के लिए विद्वान परिवार न्यायालय में जाने की छूट देता है।

13. विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय से अनुरोध है कि यदि सुविधाजनक हो तो न्यायालय के नियमों के अनुसार सुनवाई को समय से पहले कर लें तथा यदि आवश्यक हो तो उचित प्रपीड़क प्रक्रिया अपनाएं, जिससे नियोक्ता को यह निर्देश दिया जा सके कि वह भरणपोषण की राशि प्रत्यक्षतः याचिकाकर्ता/पत्नी के खाते में जमा करवा दे, इसके अलावा भरणपोषण की राशि के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए प्रत्यर्थी/पति के विरुद्ध अन्य प्रपीड़क प्रक्रियाएं अपनाएं।

14. तदनुसार, वर्तमान अवमान याचिका का बिना किसी पूर्वाग्रह के निपटान किया जाता है।

**न्या. धर्मेश शर्मा,**

**23 अगस्त 2024**

वीएलडी

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*